

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारीशिवपुर..... व भू अभिलेख निरीक्षकजानराद.....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्रामगाजुणा..... पटवार हल्काशिवपुर..... तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2074-2077..... में खाता संख्या 86, 87, 88, 90..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
<u>15</u>	<u>गाजुणा</u>	<u>86, 87, 88, 90</u>	<u>देवीलाल पुत्र गिरधारी</u>	<u>देवीलाल उर्फ देवाराम पुत्र गिरधारी</u>

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 15

दिनांक:- 15/12/21

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

PP15/2021
2021/722

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

